



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274234
CG-DL-E-07072026-274234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3523]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3523]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3685(अ).— केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) की धारा 3जी की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचना एस.ओ. संख्या 124 (अ) दिनांक 8 जनवरी 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री राजेश काटकर, संयुक्त आयुक्त (पुनर्वास) की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है।

[फा. सं. MoRTH/NHAI/RO,Mumbai/land/Arbitrator/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3685(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and in partial modification of the earlier notification SO. NO.124 (E) dated 8th January 2026, issued in this regard, the Central Government hereby withdraws the appointment of Shri Rajesh Katkar, Joint Commissioner (Rehabilitation) as Arbitrator with immediate effect.

[F. No. MoRTH/NHAI/RO,Mumbai/land/Arbitrator/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director